



प्रीलिमिंस फैक्ट्स : 27 फरवरी, 2018

HIV/एड्स से पीड़ित लोगों के लिये वायरल लोड टेस्ट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में 'HIV/एड्स (People Living with HIV/AIDS - PLHIV) से पीड़ित लोगों के लिये वायरल लोड टेस्ट' का शुभारंभ किया गया। इस पहल से देश में इलाज करा रहे 12 लाख PLHIV का निःशुल्क वायरल लोड टेस्ट साल में कम-से-कम एक बार अवश्य कराया जा सकेगा।

- 'सभी का इलाज' (ट्रीट ऑल) के बाद वायरल लोड टेस्ट HIV से पीड़ित लोगों के इलाज एवं नगिरानी की दशा में एक बड़ा कदम है।
- यह वायरल लोड टेस्ट आजीवन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी करा रहे मरीजों के इलाज की प्रभावशीलता की नगिरानी करने की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है।
- नियमित वायरल लोड टेस्ट 'फर्स्ट-लाइन रेजिमेंस' (नियमानुसार परहेज़) के उपयोग को अनुकूलति करेगा, जिससे HIV से पीड़ित लोगों में दवा प्रतिरोध का नविवरण हो सकेगा और उनकी दीर्घायु सुनिश्चित होगी।
- वायरल लोड टेस्ट आर्ट से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों को फर्स्ट-लाइन इलाज की वफिलता के बारे में पहले ही पता लगाने में सक्षम बनाएगा और इस तरह यह PLHIV को दवा का प्रतिरोध करने से बचाएगा।
- यह एल.एफ.यू. (Loss to Follow Up - LFU) PLHIV पर नज़र रखने के मामले में 'मिशन संपर्क' (Mission Sampark) को मज़बूत करने में भी मददगार साबित होगा।
- वर्ष 2017 में भारत ने एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (Antiretroviral Therapy - ART) उपचार प्रोटोकॉल को संशोधित किया था, ताकि 'आर्ट' वाले समस्त PLHIV के लिये 'ट्रीट ऑल' का शुभारंभ हो सके।
- यह 'ट्रीट ऑल' पहल इसलिये की गई थी, ताकि उपचार जल्द शुरू हो सके और व्यक्तिगत एवं समुदाय दोनों ही स्तरों पर वायरस के संचरण को कम किया जा सके।
- वर्तमान में लगभग 12 लाख PLHIV 530 से भी अधिक 'आर्ट' केंद्रों में मुफ्त उपचार का लाभ उठा रहे हैं।

मिशन संपर्क

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व एड्स दविस, 2017 के अवसर पर 'मिशन संपर्क' (Mission Sampark) का शुभारंभ किया गया।

- इस मिशन के तहत ऐसे HIV से संक्रमित लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है, जिन्होंने एक बार 'आर्ट' (Anti retro Viral treatment) के तहत अपना इलाज करने के बाद इसे बीच में ही छोड़ दिया है।
- वर्तमान में देश में 536 आर्ट केंद्रों के माध्यम से HIV के साथ जीवन-यापन कर रहे तकरीबन 11.5 लाख से अधिक PLHIV (People Living with HIV) को निःशुल्क सलाह एवं इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इस दशा में ज़रूरतमंद लोगों को HIV परीक्षण के लिये उनके निकट ही यह सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।
- इसके लिये 'समुदाय आधारित परीक्षण' की व्यवस्था की जा रही है ताकि ऐसे लोगों की तेज़ी से पहचान करते हुए इन्हें 'आर्ट' कार्यक्रम से जोड़ा जा सके।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना 2017-2024 के अंतर्गत न केवल 90:90:90 के लक्ष्य को अर्जित करने के लिये एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, बल्कि 2030 तक एड्स की महामारी समाप्त करने की रणनीति में तीव्रता लाने के लिये अपने साझेदारों के साथ मिलकर प्रयास भी किये जा रहे हैं।

एड्स और HIV

उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण अथवा एड्स मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता वषिणु (Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome - HIV/AIDS) संक्रमण के बाद की स्थिति होती है, जिसमें मानव की प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता (immune system) क्षीण होने लगती है।

- इस वषिय में यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि एड्स स्वयं में कोई बीमारी नहीं होती है बल्कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति का शरीर जीवाणुओं और वषिणुओं के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों के प्रति अपनी प्राकृतिक प्रतिरक्षी शक्ति खो बैठता है।
- इसका सामान्य सा कारण यह है कि HIV (वह वायरस जिससे कि एड्स होता है) रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी पदार्थ लसीका कोशिका

- (Lymphocyte) पर आक्रमण कर उसे जीर्ण कर देता है जिससे मनुष्य का शरीर सामान्य संक्रामक रोगों का सामना करने में दुर्बल हो जाता है।
- ह्यूमन एम्प्युनोडेफिसिएंशी वायरस (HIV) एक वषिणु होता है जो हमारे प्रतरिक्षा तंत्र में अवस्थिति टी-कोशिकाओं (T-CELLS) को प्रभावति करता है, जिससे एकवायरड एम्प्युनोडेफिसिएंशी सडिरोम यानी एडस (AIDS) हो जाता है।
 - दूसरे शब्दों में कहें तो HIV एक अतसूक्षम वषिणु होता है जिसकी वजह से एडस हो सकता है।
 - एडस स्वयं में कोई रोग नहीं होता है बल्कि एक संलक्षण (Syndrome) होता है। यह मनुष्य की अन्य रोगों से लड़ने की नैसर्गकि प्रतरिक्षक कषमता को घटा देता है।
 - प्रतरिक्षक कषमता का कषय होने से अवसरवादी संक्रमण (opportunistic infections), यानी सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर टीबी जैसे गंभीर रोग तक हो जाते हैं और उनका इलाज करना कठनि हो जाता है, परणामतः मरीज की मृत्यु हो सकती है।
 - ऐसे सामान्य रोगों का इतना गंभीर परणाम होने का अहम कारण यही है कि मनुष्य का शरीर रोगों से लड़ने की कषमता खो देता है।
 - एडस का पूरा नाम 'एकवायरड एम्प्युनोडेफिसिएंशी सडिरोम' (acquired immune deficiency syndrome) है। यह HIV (Human immunodeficiency virus) नामक वषिणु से फैलता है।

कारण

- असुरकषति यौन संबंधों से, गर्भवती महिला द्वारा शशु को, संक्रमति रक्त के द्वारा।

प्रारंभिक अवस्था के लक्षण

- बुखार, जोड़ों में दरद, थकावट, शरीर पर लाल धब्बे, लगातार वजन में कमी, रात में पसीना आना, गले में सूजन आदी।

बाद की अवस्था के लक्षण

- डायरिया, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, गला सूखना, अत्यधिक थकावट होना, 100 डिग्री के आसपास बुखार का बने रहना आदी।

एडस और HIV (रोकथाम एवं नयितरण) वधियक, 2017

भारतीय संसद द्वारा HIV/AIDS से संबंधति बलि (Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill) 2017 पारति कया गया। इस वधियक के माध्यम से HIV/AIDS से पीड़ति लोगों को मेडकिल इलाज, शैक्षणकि संस्थानों में प्रवेश तथा नौकरयिों के संबंध में समान अधिकार दिलाने की गारंटी सुनिश्चिति की गई है।

- यह HIV/AIDS से संक्रमति व्यक्तयिों के खलिफ किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतरिक्षक लगाता है।
- यह कानून मुख्यतः जन-केंद्रति होने के साथ-साथ HIV पीड़ति लोगों के मुफ्त इलाज के लयि पूरी तरह से प्रतरिक्षक भी है।
- इस कानून को HIV पीड़ति लोगों के अधिकारों को मजबूत करने की दशिया में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- इसके लागू होने के उपरंत यदा किसी व्यक्तयि द्वारा किसी HIV पीड़ति व्यक्तयि से किसी भी प्रकार का भेदभाव कया जाता है तो संबंधति व्यक्तयि पर सविलि एवं अपराधकि कारयवाई की जाएगी।
- इसे HIV/AIDS से पीड़ति लोगों के साथ रोजगार, शक्षि, आवास एवं मेडकिल उपचार संबंधी मामलों में होने वाले भेदभाव की रोकथाम हेतु लाया गया है ताकि HIV/AIDS से पीड़ति व्यक्तयिों के मौलकि अधिकारों को एक नई दशिया एवं सुदृढता प्रदान की जा सके।
- इसके अतरिकित, इसके अंतर्गत HIV/AIDS पीड़ति लोगों के साथ सार्वजनकि स्थलों, होटलों, मनोरंजन स्थानों तथा सार्वजनकि सुवधि जैसे स्थानों पर अनुचित व्ययहार एवं भेदभाव को भी प्रतरिक्षक कया गया है।
- यदा कोई व्यक्तयि किसी HIV/AIDS से पीड़ति व्यक्तयि से संबंधति कोई घृणा वचिार को प्रकाशति करता है या किसी अन्य प्रकार से सूचना फैलाता है तो वह व्यक्तयि HIV कानून के अंतर्गत सजा का हकदार होगा।
- इसके अंतर्गत यह व्ययस्था की गई है कि किसी भी व्यक्तयि को उसकी सहमति और न्यायालय के आदेश के बनि अपनी HIV स्थिति को उजागर करने के लयि बाध्य नहीं कया जा सकता है।
- HIV पीड़तिों की जानकारी रखने वाले प्रतरिक्षकानों के लयि डेटा संरक्षण उपायों को अपनाना अनविरय कया गया है।
- साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की यह ज़मिमेदारी सुनिश्चिति की गई है कि वे HIV/AIDS को फैलने से रोकने के उपाय करें, HIV/AIDS पीड़तिों को एंटी रटिरोवायरल थेरेपी (ART) प्रदान करें एवं उनकी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चिति करें।
- इसके लयि प्रत्येक राज्य द्वारा एक लोकपाल (Ombudsman) नयिकत कया जाएगा जो इस अधनियम के उल्लंघन की जाँच करेगा।
- 12 से 18 वर्ष के बीच का व्यक्तयि जो HIV/AIDS से संक्रमति व्यक्तयि से संबंधति मामलों को समझने और प्रबंधति करने की परपिक्वता रखता हो, उसे 18 वर्ष से कम उम्र के अपने HIV/AIDS पीड़ति भाई/बहन का संरक्षक (Guardianship) घोषति कया जा सकता है।
- HIV पॉज़टिवि व्यक्तयिों से संबंधति मामलों को प्राथमकिता के आधार पर नपिताया जाएगा।
- भारत में HIV कानून सामाजकि न्याय स्थापति करने का एक अचूक तंत्र है।
- भारत को HIV मुक्त बनाने के लयि आर्ट (ANTI-RETROVIRAL THERAPY-ART) एक दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
- आर्ट HIV पीड़ति व्यक्तयि को दयि जाने वाला एक उपचार है। उल्लेखनीय है कि 'आर्ट' के चलते भारत में HIV एवं एडस से संक्रमति मरीजों की संख्या एवं मृत्यु में कमी दर्ज की गई है।

